



पत्रांक— ५३१८/११०/तीन/९७— vi

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभियान— शामली, मुज्जफरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद,
गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा,
कासगंज, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत,
लखीमपुर—खीरी, शाहजहाँपुर, बदायूँ।
2. संबन्धित सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/झूड़ा, उ०प्र०

विषय:- दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत संचालित घटकों के साथ ही सूडा/झूड़ा द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति समीक्षा हेतु प्रस्तावित बैठक दिनांक 20.02.2017 को परियोजना अधिकारी/सहा० परि० अधिकारी, झूड़ा उ०प्र० की प्रतिभागिता के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अभियान के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 5306/११०/तीन/९७—vi दिनांक 15.2.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत पत्र के द्वारा इंगित बैठक में विभिन्न उल्लिखित 14 बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना के साथ प्रतिभागिता हेतु सम्बन्धित सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/झूड़ा एवं परियोजना अधिकारी/सहा० परि० अधिकारी, झूड़ा को निर्देशित किया गया था।

उक्त क्रम में एजेण्डा बिन्दु संख्या 11 में जो कि मोटर/बैटरी चालित ई—रिक्शा योजना की प्रगति समीक्षा विषयक है के सम्बन्ध में यथा उल्लिखित जनपद शामली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, बरेली, अमरोहा, लखीमपुर खीरी, एवं बदायूँ का उल्लेख कर जनपद स्तरीय निर्गत प्रमाण—पत्र (मुख्यालय द्वारा पूर्व निर्गत निर्धारित प्रारूप पर) साथ लेकर आना निर्देशित है।

टंकण त्रुटिवश उक्त जनपदों के नाम अंकित हो गये हैं। जबकि उक्त सभी जनपदों से इंगित प्रमाण—पत्र अभियान पर पूर्व में प्राप्त हो चुके हैं। उक्त के स्थान पर मुजफरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, रामपुर, पीलीभीत तथा शाहजहाँपुर जनपदों से प्रमाण—पत्र अप्राप्त है। अतः इन सभी जनपदों के स्तर से बैठक में उल्लिखित प्रमाण—पत्र लाया जाना अपरिहार्य है।

समविषयक पूर्व निर्गत पत्र दिनांक 15.2.2017 में बिन्दु संख्या 15 को समाहित करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि अरबन स्टेटीस्टिक्स फॉर एच० आर० एण्ड असेसमेंट(USHA) योजना के अन्तर्गत जनपद मुज्जफरनगर, बागपत मेरठ, कासगंज, रामपुर तथा शाहजहाँपुर जनपद के परियोजना अधिकारी प्रश्नगत योजनामद में अवशेष धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र

4

दूरभाष—0522—2286709

फैक्स—0522—2286711

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

www.sudaup.org

e mail-pmusuda@gmail.com

दिनांक १६ फरवरी, 2017

महत्वपूर्ण

(यूसी०) प्रत्येक दशा में लेकर आएं। व्यय न हो पाने की स्थिति में अवशेष धनराशि का बैंक ड्राफ्ट साथ लेकर आएं। अनुपालन न किए जाने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक/
निदेशक सूडा, उ०प्र०

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निदेशक, कैम्प/अपर निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प सूडा उ०प्र०।
2. संबंधित शहरों के सहा० परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी, डूडा उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि बैठक में समस्त सुसंगत सूचनाओं सहित स्वयं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
3. सूडा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोजित बैठक में समीक्षा बिन्दुओं सम्बन्धित पूर्ण विवरण समय से प्रस्तुत कर बुकलेट/पी०पी०टी० बनवाने में अपनी समीक्षा आख्या प्रस्तुत करने व भाग लेने हेतु।
4. महाप्रबन्धक सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को समय से समस्त प्रगति आख्या भेजने, अपनी समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने व बैठक में प्रतिभाग करने हेतु।
5. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक/
निदेशक सूडा, उ०प्र०